

मणिपुर राज्य और अन्य

बनाम

आर. के. मणिकांत सिंह और अन्य

19 दिसंबर, 2003

[मुख्य न्यायाधिपति वी. एन. खरे और न्यायाधिपति एस. बी. सिन्हा]

सेवा कानून:

मणिपुर राज्य में पदोन्नति अधीक्षण अभियंता-अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति-पात्रता मानदंड-प्रत्यर्थी के मामले पर विचार करने का आदेश में छूट-जब प्रत्यर्थी को पदोन्नत नहीं किया जाता है, तो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई-इस बीच प्रत्यर्थी को पदोन्नत किया गया-इस प्रश्न के संबंध में छूट देने के आदेश का निहितार्थ कि क्या राज्य सरकार द्वारा पारित छूट के आदेश के आलोक में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रत्यर्थी के मामले पर विधिवत विचार किया गया था, उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा प्रतीत नहीं होता है-अब यह अपीलकर्ता राज्य पर निर्भर है कि वह उचित परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को पदोन्नति देने के आदेश के आलोक में छूट के ऐसे आदेश के प्रभाव पर विचार करे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 10207/2003

(डब्ल्यू. ए. संख्या 84/2000 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इम्फाल पीठ के दिनांक 29.1.2003 के निर्णय और आदेश से।)

अपीलार्थियों के लिए ख्वैरकपम नोबिन सिंह।

उत्तरदाता- व्यक्ति (एन. पी.)।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया:

अनुमति दे दी गई।

मणिपुर राज्य ने गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 2000 की रिट अपील संख्या 84 में पारित 29.1.2003 के फैसले और आदेश से व्यथित होकर हमारे समक्ष अपील की है, जहां तक कि प्रतिवादी को पद के लिए लागू मौद्रिक लाभ प्रदान किया गया था। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के शिथिलीकरण के आदेश के आधार पर उनके पक्ष में दिनांक 6.7.1999 को एक आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश में निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये।

"सबसे पहले, क्योंकि वर्तमान मामले के तथ्य राज्य प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी के अधिकार से किसी भी सचेत रूप से वंचित करना को प्रकट नहीं करते हैं, और दूसरा, 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' के सिद्धांत पर जो हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए उचित मामलों में न्यायशास्त्र की सेवा। इसके विपरीत, हम यह मानने के इच्छुक हैं कि यदि राज्य प्रतिवादी हैं तो न्याय के उद्देश्य पूरे होंगे अतिरिक्त वेतनमान में रिट अपीलकर्ता का वेतन निर्धारित करने का निर्देश दिया गया। मुख्य अभियंता दिनांक 01.07.2018 से ऐसी तारीख/तारीखें हैं जब अपील में मुख्य उत्तरदाताओं को उक्त पद पर पदोन्नत किया गया था और उस आधार पर अपीलकर्ता को देय पेंशन लाभ की गणना की गई थी।"

यह विवाद में नहीं है कि छूट का आदेश पक्ष में दिया गया था। प्रतिवादी के पक्ष में 6.7.1999 को या उसके आसपास दिया गया जो निम्नलिखित शर्तों में है:

"नंबर 9/3/83-आईएफसी (पं. 11): श्री आर.के. मणिकांत सिंह, अधीक्षण अभियंता, आईएफसी विभाग, मणिपुर के संबंध में सेवा मामले की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, मणिपुर के राज्यपाल ने इसके तहत प्रावधान में ढील देने की कृपा की है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के भर्ती नियम 1993 के एम.पी.एस.सी.फॉर्म-8 के कॉलम-2 में श्री आर.के. मणिकानाता सिंह, अधीक्षण अभियंता के संबंध में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधीक्षण अभियंता से अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए उनकी पात्रता के बारे में पूछताछ जनहित में की गई है।

2. यह अतिरिक्त मुख्य अभियंता, भर्ती नियम, 1993 के नियम 5 के खंड को शिथिल करने की शक्ति के तहत जारी किया गया है।

ऐसी छूट कथित तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर लागू भर्ती नियमों के संदर्भ में दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 25.11.1993 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए उक्त पद एक चयन पद है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने 26.8.1999 को हुई बैठकों के कार्यवृत्त हमारे सामने रखे और 20.10.2001 विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा यह दर्शाने के लिए कि यद्यपि प्रतिवादी का मामला था पदोन्नति के लिए विचार किया गया लेकिन उन्हें इसके लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। विद्वान वकील के अनुसार, छूट का आदेश राज्य द्वारा पारित किया गया था ताकि विभागीय पदोन्नति समिति प्रतिवादी के मामले पर विचार कर सके, लेकिन यह स्वयं इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि उसके कारण से

उसे पदोन्नत किया गया माना जाएगा। विद्वान वकील तर्क देंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों को गलत माना जाना चाहिए।

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले प्रतिवादी ने आग्रह किया कि वह चिंतित नहीं है

अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के अनुदान के साथ लेकिन राज्य की कार्रवाई से संबंधित इस प्रभाव से कि अनुदान के बाद मामले में छूट, जैसा कि पहले कहा गया है, उसने इसे वापस लेने और फिर से इसे पुनर्जीवित करने की मांग की। एक बार जब यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि ऐसी छूट लागू है, तो प्रतिवादी तर्क देगा कि राज्य अपने उचित परिप्रेक्ष्य में इसके प्रभाव पर विचार करने के लिए बाध्य है।

उच्च न्यायालय के निर्णय से यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित होने पर, प्रतिवादी को अक्टूबर, 2001 में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के उच्च पद पर पदोन्नत किया गया था और वह 28.2.2002 पर सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हो गया था।

प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि छूट देने के आदेश का निहितार्थ इस सवाल के संबंध में है कि क्या प्रतिवादी के मामले पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विधिवत विचार किया गया था। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि राज्य सरकार द्वारा पारित छूट के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष विज्ञापित किया गया है।

इसलिए, हमारी राय है कि यह अपीलकर्ता राज्य का दायित्व है कि वह उचित परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी को पदोन्नति देने वाले आदेश के आलोक में छूट के ऐसे आदेश

के प्रभाव पर विचार करे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है।

अपील का निपटारा उपरोक्त सीमा तक बिना किसी रोक-टोक के किया जाता है।  
लागत के अनुसार आदेश दें।

आर. पी.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।